महत्वपूर्ण

संख्या-24/2025/107/2025-27-सिं0-4-16(रिट)(एन0जी0टी0)/2023

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0,शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2025

विषय: ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के अनुपालन में गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 16-12-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व मेंओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में पारित आदेशदिनांक 12-11-2024 के प्रस्तर- 6 में निम्ननिर्देश दिये गये हैः-

> "6. Learned Counsel for the State of UP has informed that simultaneously the exercise of ground truthing verification is in progress and after receipt of the final report, the said exercise will be completed by 15.12.2024. He has submitted that the delineation work of the stretch of 700 km of River Ganga in State of UP in Phase-II will be completed by 31st of December, 2024 and, thereafter, within four weeks the final notification will be issued."

3. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना हैः-

क्रमांक	जनपद	लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड
1.	कानपुर	संलग्नक-1
2.	उन्नाव	संलग्नक-2
3.	फतेहपुर	संलग्नक-3
4.	रायबरेली	संलग्नक-4
5.	कौशाम्बी	संलग्नक-5
6.	प्रतापगढ़	संलग्नक-6
7.	प्रयागराज	संलग्नक-7
8.	मीरजापुर	संलग्नक-8
9.	भदोही	संलग्नक-9
10.	वाराणसी	संलग्नक-10
11.	चंदौली	संलग्नक-11
12.	गाजीपुर	संलग्नक-12
13.	बलिया	संलग्नक-13

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के अनुपालन में गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude)(प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है इस सम्बन्ध मे एन.एम.सी.जी, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगें ।

5. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

पृष्ठांकन संख्या-24/2025**/107/2025-27-सिं0-4-16(रिट)(एन0जी0टी0)/2023 दिनांक** 29 **जनवरी,2025**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-4 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्य अभियंता(शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in